विविध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 66/2018 (RCMS 2018/00126) मीतराम पुत्र श्री बुटाराम जाति बावरी निवासी 16–17 एच धनजातिया तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. अमर सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 49 जी डी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर द्वारा श्री संदीप काकड़, कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.07.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक सहारण उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 04/2016, धारा 145 सीआरपीसी के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अमर सिंह आदि के विरूद्ध पेश किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर से निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है, इसलिए अन्यत्र सक्षम उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सुनवाई व निस्तारण के मुंतकिल किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के न्यायालय निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर जिस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दिनांक 25.07..2018 को प्रस्तुत किया था, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है। इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, मजिस्ट्रेट को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर